बाल श्रम की प्रमुख समस्याएं
(Main Problems of Child Labour)

22 April
UG IV Sem.

यद्यपि विभिन्न उद्योगों में बाल श्रमिकों की समस्याएं विभिन्न हैं, किंतु कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो समस्त क्षेत्रों में पायी जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं :

1. **कम आयु में कार्य करना** (Working at an early age) : बालकों को ऐसी कच्ची उम्र से ही काम पर लगा दिया जाता है और उनसे कठोर परिश्रम कराया जाता है, जबकि उनमें काम करने की पर्याप्त क्षमता नहीं होती। बचपन में शरीर और मन दोनों ही कोमल होते हैं, परंतु बचपन से ही इन्हें कठोर कामों में लगा देने से उनकी कोमलता नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति बालक के व्यक्तित्व व स्वास्थ्य विकास में बाधक होती है। "परिवार के निर्वाह के लिए मजदूरी कमाने की आर्थिक आवश्यकता बालक को शिक्षा, खेलकूद एवं मनोरंजन के अवसरों से वंचित कर देती है, उसके शारीरिक विकास को रोकती है, उनके व्यक्तित्व के सामान्य विकास में बाधा डालती है तथा वयस्क जिम्मेदारी के लिए उसके तैयार होने में रोड़े अटकाती है।"

2. **दूषित दशाएं** (Uncongenial conditions) : लगभग सभी उद्योगों में बच्चों को अत्यंत दयनीय दशाओं के अंतर्गत काम करना पड़ता है, जिससे वे शीघ्र ही रोगग्रस्त हो जाते हैं और चिकित्सा के समुचित अभाव में अपने को हमेशा के लिए खो बैठते हैं।

3. **नैतिक पतन** (Moral deteriorotin) : वयस्क श्रमिकों के साथ काम करने से उनकी अनेक बुरी आदतें बच्चे भी सीख जाते हैं। विभिन्न खोजों से पता चलता है कि इन बुरी आदतों में दो आदतें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—एक तो बीड़ी या सिगरेट पीने की आदत और दूसरी जुआ खेलने की आदत। इसके अतिरिक्त उनसे अनुचित, अनैतिक और अमानवीय कार्य कराये जाते हैं जिससे उनका चारित्रिक ह्रास होता है।

4. **शिक्षा से वंचित** (Deprived of education) : बचपन से ही बालकों को रोजगार पर लगा देने का अर्थ है उन्हें शिक्षा

---

1. *Child Labour in India,* Ministry of Labour Bureau, 1954, p. 8

Scanned with CamScanner

UG IV Sem

प्राप्त करने के अवसरों से वंचित करना। इससे देश में अशिक्षा में वृद्धि होती है तथा व्यक्ति और राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है।

(5) **अनिश्चित कार्य के घंटे, मजदूरी आदि** (Uncertain working hours and wages) : बाल श्रमिकों के कार्य करने के घंटे, मजदूरी व छुट्टी के संबंध में कोई निश्चित स्थिति नहीं है। नाममात्र मजदूरी दे कर लंबे समय तक कार्य लेना श्रमिकों से संबंधित एक अन्य समस्या है। उन्हें सामान्यतः वयस्क श्रमिकों की मजदूरी का 30 से 50 प्रतिशत अंश दिया जाता है।

(6) **अधिनियम का शिथिल पालन** (Ineffective implementation of act) : यद्यपि सरकार ने बाल श्रमिकों के संबंध में कुछ अधिनियम बनाये है किंतु उनका पालन कठोरता से नहीं किया जाता। फलतः बच्चों को निश्चित सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ता है।

बाल श्रमिकों की अवस्था में सुधार के राजकीय प्रयत्न
(Government Efforts to Improve the Condition of Child Labour)

1. **बाल (श्रम अनुबंधन) अधिनियम, 1933** (Child (Labour Contract) Act, 1933) : श्रम के शाही आयोग ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि इस देश में बीड़ी और दरी बनाने के उद्योग में बच्चों के श्रम को गिरवी रखने की एक अत्यंत हीन दशा प्रचलित है। इसे दूर करने के लिए सन् 1933 में बाल श्रम अनुबंध अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं : (*अ*) यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में लागू होता है। (*ब*) कोई भी ऐसा समझौता अवैध होगा जिसके अंतर्गत किसी बालक के माता-पिता या उसके संरक्षक किसी लाभ या धन के बदले में उस बालक की सेवा या श्रम को किसी भी रोजगार में उपयोग करने की अनुमति देकर उसके श्रम को मालिक के पास गिरवी रखते हैं। (*स*) इस अधिनियम को तोड़ने वाले को 200 रुपये तक जुर्माना तथा मां-बाप पर 50 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

2. **बाल रोजगार अधिनियम, 1938** (Child Employment Act, 1938) : इस अधिनियम का उद्देश्य कारखानों, यातायात आदि में बच्चों की भर्ती व अन्य कार्य की दशाओं को नियंत्रित करना था। इस अधिनियम में सन् 1939, 1948, 1949, 1950 और 1951 में संशोधन किये गये। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं : (*अ*) यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। (*ब*) अधिनियम में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भर्ती का निषेध उन सब यातायात रेल आदि में है जिनमें यात्रियों, माल या डाक तार का आना-जाना होता है अथवा बंदरगाह में सामान आदि चढ़ाने-उतारने का काम होता है। (*स*) जो बच्चे प्रशिक्षण में हैं उनको छोड़कर किसी भी बच्चे को, जिसकी आयु 15 और 17 वर्ष के बीच है, किसी भी दिन 12 घंटे के लगातार अवकाश के बिना नहीं लगाया जा सकता। (*द*) बीड़ी बनाने, दरी बुनने, कपड़े की छपाई, रंगाई व बुनाई, दियासलाई, अभ्रक, लाख, साबुन, चमड़ा तथा उनकी सफाई से संबंधित उद्योगों में बाल-श्रमिकों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी है। उन संस्थानों में यह शर्त लागू न होगी जहां मालिक अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से इस प्रकार का उद्योग चलाते हैं। (*य*) रेल और बंदरगाह के अधिकारियों को एक रजिस्टर रखना होता है उसमें काम पर लगाये गये 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जन्मतिथि, अवकाश, कार्य की प्रकृति आदि लिखना होता है। (*र*) अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को एक माह के कारावास अथवा 500 रुपये के अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। (*ल*) इस अधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व कारखानों के मुख्य निरीक्षक का है।

3. **खान अधिनियम, 1952** (Mines Act, 1952) : खानों में रोजगार संबंधी न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गयी। अधिनियम ने इस आयु से कम के बालकों को किसी भी भाग में, चाहे यह भूमिगत हो या खुले में खुदाई का कार्य हो, कार्य पर रखने का निषेध किया है। इसमें प्रावधान किया है कि किसी भी दिन किशोरों से साढ़े चार घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता।

4. **बागान अधिनियम, 1951** (Plantation Act, 1951) : इसके अंतर्गत रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष रखी गयी है।

5. **कारखाना अधिनियम, 1948** (Factories Act, 1948) : भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार कोई भी बालक, जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, कारखानों में काम नहीं कर सकता। 15 से 18 वर्ष के बालक किशोर की श्रेणी में

Scanned with CamScanner